210

समक्ष : माननी राजस्व मण्डल म.प्र ग्वालियर

निगरानी / 2018 निगरानी- 5859/2018/टीकमगढ़/भू.रा.

श्रीमती गनेशी बाई पत्नी ग्यासी लाल कुम्हार निवासी ग्राम महेवा चक 4 तहसील लिधौरा जिला टीकमगढ म.प्र.

...........आवेदक

विरूद्ध

राजाराम तनय मनीराम निवासी ग्राम महेवा चक 4 तहसील लिधौरा जिला टीकमगढ म.प्र.

....................अनावेदक

निगरानी आवेदन पत्र अंतर्गत म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के तहत विरूद्ध नायव तहसीलदार वृत स्यावनी तहसील लिधौरा जिला टीकमगढ के राजस्व प्रकरण 09/अ–3/2017–18मे पारित आलोच्य आदेश दिनांक 26.2.2018 के विरूद्ध।

श्रीमान जी ,

आवेदक की ओर से आवेदन पत्र निम्न प्रकार है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैकि–

1.. यहकि, प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हे कि आवेदिका द्वारा अपनी भूमि ,खसरा नं 27/15 रकवा 1.214 हे. व 27/16 रकवा 1.666हे. गाम महेवा चक तहसील लिधोरा के समक्ष नक्सा तरमीम हेतु आवेदन पत्र दिया जिस आवेदन पत्र पर से प्रकरण क 09/अ–3/2017–18 दर्ज किया गया परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत एंव नियमानुसार कार्यवाही न की जाकर सरसरी तोर पर मात्र इस आधार पर आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया कि प्रकरण पेश प्रकरण में सलग्न नक्सा ट्रेस पी 1 का अवलोकन किया जिसमें आवेदित ख न 27/15 ,27/16 रकवा कमश 1.214,1.666 हे. की पख्ता तरमीम काली स्याही दर्शायी है जिस कारण से पुनः नवीन तरमीम कायम की जाना ओचित्य न होकर विधि संगत नही हे। मात्र इसी स्टेज पर आवेदक के आवेदन का निराकरण किया गया वोलता हुआ आदेश पारित नही किया गया एंव सम्पूर्ण कार्यवाही नही की गई एवं विधिवत नक्सा तरमीम की कार्यवाही नही की गई इसलिये अधिनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश उचित न होने से निरस्त योग्य है।

2. यहकि, आवेदक द्वारा यह निगरानी निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है। जिसमे सफलता मिलने की पूर्ण आशा है।

आधार

1. यहकि, अधिनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश उचित एंव न्या संगत न होने से निरस्त योग्य है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

2

प्रकरण क्रमांक- निग.-5859/2018/टीकमगढ़/भू.रा.

श्रीमती गनेशी विरूद्ध राजाराम

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
09-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री योगेन्द्र सिंह भदौरिया उपस्थित । आवेदक अभिभाषक द्वारा नायब तहसीलदार वृत स्यावनी तहसील लिधौरा, जिला-टीकमगढ़, के प्रकरण क्रमांक 09/अ-3/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 26-02-2018 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 22-09-2010 को मुख्यालय ग्वालियर में पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. नायब तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर टीकमगढ़ के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया	

जाना होगा ।

5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर टीकमगढ़ को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 27-02-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 09/01/2019
सदस्य